भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] No. 134] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

ि रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 455

DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

[N.C.T.D. No. 455

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

आदेश

दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सं.रा.चु.आ. / विधि / ई. / एफ.179 / 2012 / 8997.—जबिक श्रीमती बबली गिरि, आर. जेड़.—93बी, गली न.—10 तुगलकाबाद विस्तार नई दिल्ली—110019 जिन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 15.04.2012 को हुए चुनाव में वार्ड संख्या 185 से चुनाव लड़ा था, को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश सम संख्या दिनांक 01.08.2013 द्वारा अपने चुनाव व्ययों का लेखा निर्धारित प्रपत्र, रीति तथा समय के अनुसार जैसािक दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है, प्रस्तुत न करने पर छः वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

और जबिक तथाकथित श्रीमती बबली गिरि ने न तो अपना व्यय का विवरण भेजा और न कारण बताया और न नोटिस का उत्तर भेजा।

और जबिक तथा कथित श्री बबली गिरि ने अब निर्धारित फार्म में अपने चुनाव का व्यय विवरण तथा शपथ—पत्र 20.02. 2017 को प्रस्तुत कर दिया है तथा माननीय राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव व्ययों का विवरण स्वीकार करने तथा छः वर्ष के लिए पारित अयोग्यता को हटाने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 111 के अधीन प्रार्थना की है।

अब, अतः, उपरोक्त केस पर पूर्ण रूप से विचार करने पर तथा व्यय विवरण समय से न देने के कारणों पर विचार करने के पश्चात् मैं, एस. के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राज्य चुनाव आयुक्त, तथाकथित श्रीमती बबली गिरि की अयोग्यता जिसका आदेश आयोग के सम संख्या दिनांक 30.07.2013 द्वारा दिया गया था, अब इस आदेश के जारी होने की तिथि से हटा देता हूँ।

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 111 के अनुसार यह आदेश राजकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

ORDER

Delhi, the 30th March, 2017

No. SEC/LAW/E./F.179/2012/8997.—WHEREAS Ms. Babli Giri, resident of R.Z-93B, GALI No.-10 TUGLAKABAD VISTAAR, NEW DELHI-110019, who contested election from Ward No. 185 of South Delhi Municipal Corporation, held on 15.04.2012, was disqualified under the provisions of Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, for a period of 6 years vide this Commission's order of even number dated the, 01-08-2013 on account of her failure to file the return of election expenses in the prescribed form, manner and within the stipulated time.

AND WHEREAS the said Babli Giri, had neither submitted her account of election expenses nor replied to "show Cause Notice" issued by the Commission.

AND WHEREAS the said Ms. Babli Giri submitted her account of election expenses and the Affidavit in the prescribed form on 20.02.2017 and made a request to the State Election Commissioner to accept her account and to remove her disqualification for six years under the provisions of Rule 111 of the above said Rules.

NOW, THEREFORE, considering the above case in totality and the reasons for not submitting the account of election expenses within the stipulated time, I, S.K.SHRIVASTAVA, State Election Commissioner of N.C.T of Delhi, do hereby remove the disqualification of the said Ms. Babli Giri as per the Commission's order of even number dated 30.07.2013with effect from the date of issue of this order.

This order shall be published in the Official Gazette under Rule 111 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

S.K.SHRIVASTAVA, State Election Commissioner